

16 $\frac{8}{2}$

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादो अनुपस्थित।
वकील वादी द्वारा आदेशिका दिनांक 16.12.20
की पालना में आज दिनांक तक तलबाना सम्मन
प्रस्तुत नहीं किया है, अतः न्यायालय सिविल
प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान
शू- राजस्व अधिनियम की धारा 63(2) के तहत
वाद को खारेज करने का आदेश देता है।

फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला सुमार होकर वाद तक्कील
दाखिल दफतर हो।


16/12/20

